उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-6
संख्या-11/2026/ I/1203043/2026/23-6099/185/2025
लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2026
निरस्तीकरण-आदेश

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या-317/2025/I/1130346/2025/001-23-6099 (099)/ 277/2025, दिनांक 31.10.2025 के क्रमांक-1 पर अंकित कार्य ''जनपद गोण्डा में ग्राम पसका में बरूवा माझा के पास सोतिया नाले पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण'' की पुनर्स्वीकृति शासनादेश संख्या-319/2025/I/1130369/2025/ 23-6099/185/2025 दिनांक 31.10.2025 में क्रमांक-12 पर होने के कारण द्विरावृत्ति हो गयी है।

2- अत: उक्त द्विरावृत्ति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-319/2025/I /1130369/2025/23-6099/185/2025 दिनांक 31.10.2025 द्वारा स्वीकृत 25 कार्यों में से क्रमांक 12 पर अंकित कार्य ''जनपद गोण्डा में ग्राम पसका में बरूवा माझा के पास सोतिया नाले पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य'' हेतु पुन:स्वीकृत धनराशि यथा अनुदान संख्या-57 से आवंटित धनराशि रू 55.52 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से आवंटित धनराशि रू0 14.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतएव शासनादेश संख्या-319/ 2025/I/1130369/ 2025/23- 6099/185/2025, दिनांक 31.10.2025 द्वारा स्वीकृत 25 कार्यों में से क्रमांक-12 पर अंकित कार्य ''जनपद गोण्डा में ग्राम पसका में बरूवा माझा के पास सोतिया नाले पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य'' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त शासनादेश संख्या-319/2025/I/1130369/2025/23-6099/185/2025, दिनांक 31.10.2025 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(सुभाष राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) गार्ड फाइल।

(सुभाष राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in